

शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय अनूपपुर (म.प्र.)

छात्रवृत्ति योजनाएँ

क्र.	छात्रवृत्ति योजना का नाम	पात्रता शर्तें
01	निःशुल्क छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति	1. मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशुल्कता प्रमाण-पत्र 2. पिछली परीक्षा में कम से कम द्वितीय श्रेणी से पास होने का प्रमाण-पत्र 3. छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अतः संख्या निश्चित नहीं है।
02	कर्मकार मण्डल में पंजीयन माता-पिता/पालक के पुत्र-पुत्री को छात्रवृत्ति	आवेदन संबंधित जनपद कार्यपालन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।
03	सामान्य निर्धन वर्ग हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना	1. माता-पिता / पालक की वार्षिक आय 75000/- तक हो तथा उनके परिवार के स्वामित्व में 10 एकड़ से अधिक जमीन न हो। 2. म.प्र. का मूल्य निवासी हो। पिछली परीक्षा 80 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो।
04	विक्रमादित्य योजना निःशुल्क शिक्षा योजना	1. माता-पिता / पालक की वार्षिक आय 54000/- से अधिक न हो। 2. म.प्र. का मूल्य निवासी हो 3. पिछली परीक्षा 60 प्रतिशत से उत्तीर्ण हो। 4. न्यूनतम आय वाले को वरीयता दी जायेगी।
05	योग्यता छात्रवृत्ति	1. उच्चतम प्राप्तांक / न्यूनतम आय को वरीयता दी जायेगी। 60 प्रतिशत से कम वाले पात्र नहीं। 2. अन्य स्त्रोतों से कोई दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त न हो रही हो। 3. वार्षिक आय 24000/- से अधिक न हो।
06	अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति	1. माता-पिता / पालक की वार्षिक आय 75000/- रु. तक हो। तब पूरी छात्रवृत्ति मिलेगी एवं शिक्षण शुल्क भी नहीं लिया जायेगा। 2. अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले रहा हो तथा पिछली परीक्षा अच्छे प्रतिशत से उत्तीर्ण हो। 3. आवेदन ऑनलाइन द्वारा किया जायेगा।
07	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति	1. माता-पिता / पालक की वार्षिक आय 250000/- रु. तक हो। तब पूरी छात्रवृत्ति मिलेगी एवं शिक्षण शुल्क भी नहीं लिया जायेगा। 2. अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले रहा हो तथा पिछली परीक्षा अच्छे प्रतिशत से उत्तीर्ण हो। 3. आवेदन ऑनलाइन द्वारा किया जायेगा।
08	शीन कार्ड धारी माता-पिता के बच्चों के लिये शिक्षण शुल्क से छूट	1. वे छात्र/छात्राएँ जिनके माता-पिता 13/05/2003 के पूर्व के कार्डधारी हैं। उनको शिक्षण शुल्क में पूर्णतः छूट के लिए गरीबी रेखा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। 2. वे छात्र/छात्राएँ जिनके माता-पिता 13/05/2003 के बाद के शीन कार्डधारी हैं। उनको शिक्षण शुल्क में पूर्णतः छूट के लिए गरीबी रेखा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के अंतर्गत संचालित होने वाले पाठ्यक्रम

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेशित छात्रों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए आवश्यक शर्तें
01	डोमेस्टिक डाटा इन्ट्री आपरेटर	30	400 घंटे	1. म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए। 2. न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। 3. आवेदन करते समय छात्र के पास जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड आवश्यक रूप से होना चाहिए। 4. छात्र को ssdm.mp.gov.in के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
02	डि.टी.एच., सेटटॉप बॉक्स इन्स्टॉलेशन सर्विस टेक्निक	30	360 घंटे	

भविष्य में शासन द्वारा अन्य प्रस्तावित पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे।



शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय अनूपपुर (म.प्र.)

(तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय)
सूचना का अधिकार

क्र.	आवेदन पत्र	निराकरण अवधि	संबंधी अधिकारी
01	परिचय पत्र की द्वितीय प्रति	दण्ड शुल्क जमा करने से तीन दिन	छात्र लिपिक
02	परीक्षा प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति	दण्ड शुल्क जमा करने से एक दिन	परीक्षा विभाग
03	स्थानांतरण प्रमाण-पत्र	अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से तीन दिन	छात्र लिपिक
04	अंकसूची प्रदाय	एक दिन में	परीक्षा विभाग
05	चरित्र प्रमाण-पत्र	विभागाध्यक्ष से अद्योषित होने से एक दिन	छात्र लिपिक
06	प्रोविजनल डिप्लोमा प्रमाण-पत्र	विभागाध्यक्ष से अद्योषित होने से एक दिन	छात्र लिपिक
07	डिप्लोमा प्रमाण-पत्र	समस्त अंकसूचियों की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करने के दिन ही	मुख्य लिपिक

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएं

- नि: शुल्क बुक बैंक योजना ।
प्रात्रता-संस्था प्रवेशित छात्र/छात्राएँ (व्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य)
 - नि: शुल्क स्टेशनरी/पाठ्य सामग्री प्रदाय योजना ।
प्रात्रता-संस्था प्रवेशित छात्र/छात्राएँ (व्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य)
 - विशेष कोचिंग सुविधा ।
प्रात्रता-संस्था प्रवेशित छात्र/छात्राएँ (व्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य)
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु पृथक लाइब्रेरी की व्यवस्था

A नियमित पाठ्यक्रम

सिटीजन चार्टर

क्र.	पाठ्यक्रम (डिप्लोमा)	अवधि वर्ष में	कुल सीट	श्रेणीवार सीटों का आरक्षण				प्रवेश का माध्यम	आरक्षण			परीक्षा प्रणाली
				समा.	अ.जा.	अ.जा. जा.	अपि. व.		महिला	स्व. सं. से	विकलांग	
01	हैलोकॉम्प्यूटिंग एवं टेक्निकल डिप्लोमा इंजी.	03	60	30	10	12	08	पी.पी.टी./दस्ती के अंको के मेरिट के आधार पर	30%	03	04	सेमेस्टर प्रणाली
02	कंप्यूटर साइंस इंजी.	03	60	30	10	12	08	पी.पी.टी./दस्ती के अंको के मेरिट के आधार पर	30%	03	04	सेमेस्टर प्रणाली
शासन द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम												
03	मैकेनिकल इंजी.	03	60	30	10	12	08	पी.पी.टी./दस्ती के अंको के मेरिट के आधार पर	30%	03	04	सेमेस्टर प्रणाली
04	हैलोकॉम्प्यूटिंग इंजी.	03	60	30	10	12	08	पी.पी.टी./दस्ती के अंको के मेरिट के आधार पर	30%	03	04	सेमेस्टर प्रणाली
भविष्य में प्रस्तावित पाठ्यक्रम												
05	डिप्लोमा इंजी.	03	60	30	10	12	08	पी.पी.टी./दस्ती के अंको के मेरिट के आधार पर	30%	03	04	सेमेस्टर प्रणाली
06	मार्किंग एवं मासिन सर्विसेज इंजी.	03	60	30	10	12	08	पी.पी.टी./दस्ती के अंको के मेरिट के आधार पर	30%	03	04	सेमेस्टर प्रणाली

नोट- 1. संस्था में प्रवेश हेतु व्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं विद्यालय एवं गणित के साथ उत्तीर्ण होना चाहिये। 2. संस्था में रिक्त सीटों को दसवीं के अंको के मेरिट के आधार पर भरी जावेगी।

द्विआसयीन

- छ: माह की नि:शुल्क प्रशिक्षण योजना प्रवेश संख्या-25 प्रात्रता-12 वी उत्तीर्ण